कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रॉक–/प्र0श्रे0लि0–4/ 24022-30 /2019–20 दिनॉंकः 09.01.2020

प्रबन्धक,
आर0के0 एजूकेशन सेन्टर,
जी0टी0 रोड़, महाराजपुर, कानपुर नगर।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं०–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 में निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक मे मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनॉंक 03–01–2020 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं आर0के0 एजूकेशन सेन्टर, जी0टी0 रोड़, महाराजपुर, कानपुर नगर को 6 से कक्षा 8 तक के लिये हिन्दी/अंग्रेजी औपबन्धिक (अस्थाई) मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध–2) के उपबन्धों का पालन करेंगा।

3–विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4–पैरा– 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिगं प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्क्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं–

क0सं0	विद्यालय मे उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	1.6615 हेक्टेयर
2	कुल निर्मित क्षेत्र	1837 वर्ग मीटर
3	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	—
4	कक्षाओं की संख्या	6
5	प्रध्यापक –सह कार्यालय– सह भण्डारागार के लिये कक्ष	2
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	4/4
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिबल पम्प उपलब्ध है।
8	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पठ्न सामग्री/क्रीडा खेल–कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

आदेश

शासनादेश संख्या सं0 419/79–6–2013–18 (20)91 दिनांक 8 मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या सं0 89/अरसठ/–3– 2018 –2041 दिनाँक 11जनवरी 2019 में अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाई स्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को मान्यता दिए जाने हेतु निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तो के आलोक में जनपदीय मान्यता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन **"आर0के0एजूकेशन सेन्टर महराजपुर,कानपुर नगर** 'को एक शैक्षिक सत्र हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान की गयी थी। उल्लिखित शासनादेश में यह व्यवस्था दी गयी है कि "निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जायेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों व शर्तो का पुनः निरीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।"

अतः प्रबन्धक द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम मे उल्लिखित शासनादेश मे निहित व्यवस्था के तहत विद्यालय में एक वर्ष में मान्यता शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने की दशा में खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरसौल द्वारा प्रस्तुत आख्या/संस्तुति के आलोक में निम्न विवरणानुसार विद्यालय को प्रदान की गयी अनन्तिम मान्यता, आदेश निर्गमन तिथि से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप एतद् द्वारा अनन्तिम मान्यता का स्थाई करण करते हुए विद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि समय–2 पर चाटर्ड एकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित विद्यालय का लेखा विवरण एवं सोसाइटी का नवीनीकरण प्रमाणपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है,कि मान्यता आदेश में वर्णित समस्त शर्तो का यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

क0 सं0	विद्यालय का नाम व पता	क्षेत्र का नाम	मान्यता का माध्यम	मान्य कक्षाएं	मान्यता आदेश संख्या व दिनाँक
1	2	3	4	5	6
1	आर0के0एजूकेशन सेन्टर, महराजपुर कानपुर नगर।	सरसौल	अंग्रेजी माध्यम	कक्षा–1 से कक्षा–5	प्रा0मा0–अंग्रेजीमाध्यम/22417–36/2019–20 /.दिनाँक 7.12.2019

(डा0 पवन कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पृ0सं0/प्रा0मान्यता/ 4363-67 /2021–22 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0)कानपुर मण्डल, कानपुर।
2– जिला समाज कल्याण अधिकारी /अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी /पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी–'कानपुर नगर।
3– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।
4– सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक को अनुपालनार्थ।
5– कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।